



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30012024-251634  
CG-DL-E-30012024-251634

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 2024/माघ 9, 1945

No. 62]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 2024/MAGHA 9, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) (संशोधन) विनियम, 2023

फा. सं. PFRDA/04/01/4/0002/2017-Fin Lit.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (न) और धारा 41 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित (इसके बाद 'मुख्य विनियम' के रूप में संदर्भित), में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं:
  - मुख्य विनियम के विनियम 4 के खंड (घ) को हटा दिया जाएगा;
  - मुख्य विनियम के विनियम 5 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) को हटा दिया जाएगा;

III. मुख्य विनियम के विनियम 6 के उप-विनियम (2) के खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ग) चार अन्य सदस्य होंगे:

- i. वित्तीय बाज़ार संचालन के विशेषज्ञ;
- ii. विधि, अर्थशास्त्र, वित्त या पेंशन क्षेत्र के विशेषज्ञ;
- iii. केंद्र सरकार के प्रतिनिधि; और
- iv. राज्य सरकार के प्रतिनिधि;

जिन्हें शिकायत निवारण या वित्तीय साक्षरता और जागरूकता से संबंधित मामलों में अनुभव प्राप्त हो।”

IV. मुख्य विनियम के विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(क) इस विनियम के उप-विनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी, जो दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।”

V. मुख्य विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“7. समिति के कृत्य (1). समिति, अभिदाताओं की शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों की सिफारिश करेगी :-

- क. वित्तीय साक्षरता और सेवानिवृत्ति शिक्षा, जागरूकता तथा योजना पर प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में मौजूदा साहित्य, वीडियो, पुस्तिकाओं एवं इस तरह की अन्य सामग्री आदि की समीक्षा और उनका निर्माण करना;
- ख. सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सेमिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;
- ग. सेवानिवृत्ति शिक्षा, जागरूकता और योजना पर अनुसंधान गतिविधियों का वित्तपोषण करना;
- घ. मौजूदा और भावी अभिदाताओं के लिए प्रिंट, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना; और
- ङ. अभिदाताओं के हित में कोई अन्य विषयवस्तु।”

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./717/2023-24]

**नोट:** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1, दिनांक 27 जनवरी, 2015 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4, सं. 29 में प्रकाशित किया गया था।

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th January, 2024

**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (SUBSCRIBER EDUCATION AND PROTECTION FUND) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023**

**F. No. PFRDA/04/01/4/0002/2017-Fin Lit.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (t) of sub-section (2) thereof and sub-section (1) and (3) of section 41 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) (Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

- I. **Clause (d) of regulation 4 of the principal regulations shall be deleted;**
- II. **Clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 5 of the principal regulations shall be deleted;**
- III. **Clause(c) of sub-regulation (2) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(c) four other members being:

- i. an expert in financial market operations;
- ii. an expert in the field of law, economics, finance or pension;
- iii. representative of the Central government; and
- iv. representative of the State government;

having experience in the matters pertaining to grievance redressal or financial literacy and awareness.”

- IV. **Clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“(a) The term of office of the members referred to in clause (c) of sub-regulation (2) of this regulation shall be three years, which may be extended for a further period of two years;”

- V. **Sub-regulation (1) of regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows:**

“**7. Functions of the committee.**— (1) The committee shall recommend the following activities relating to the subscribers' education, awareness and protection:-

- (a) creating and reviewing the existing literature, videos, booklets and such other material, both in print and digital format on financial literacy and retirement education, awareness and planning;
- (b) organizing seminars, workshops and training programmes for creating awareness on retirement planning;
- (c) funding research activities on retirement education, awareness and planning;
- (d) creating awareness programmes through print, media and electronic means for subscribers and prospective subscribers; and
- (e) any other subject matter in the interest of the subscribers.”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./717/2023-24]

**Note:** The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Subscriber Education and Protection Fund) Regulations, 2015 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/1, on the 27th January, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 29.